संख्या-14/2023/290/78-2-2023-112आई.टी./2016टीसी

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 15 जून,2023

विषय: युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन में ''युवा साथी'' मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन विकसित किये जाने हेतु आईटी पूल फण्ड से प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी के पत्र संख्या-सीईजी/पी/9/15/533/2023TEMP दिनांक 17-02-2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि स्वयं के संसाधनों से वहन किये जाने हेतु युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-588/पचास-यू0क0-2023 दिनांक 22-03-2023 द्वारा सहमति उपलब्ध करायी गयी।

2- उपरोक्त के क्रम में आईटी पूल फण्ड की गाइडलाइन एवं तदविषयक निर्गत शासनादेश संख्या-805/78-2-2016-53आईटी2008टीसी दिनांक 12-05-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" मद में प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 लाख में से स्वीकृति हेतु युवा कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रू0-92,22,290.00 के सापेक्ष आईटी एवं इले0 विभाग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि रू0-46,11,145.00 के सापेक्ष मोबिलाइजेशन एडवांस हेतु प्रथम किश्त के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि रू0- 4,61,114.00 (रू0- चार लाख इकसठ हजार एक सौ चौदह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित् शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 तथा अन्य संगत शासनोदशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक,उद्योग,लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-4,61,114.00 का आहरण कर, उसका व्यय युवा कल्याण विभाग हेतु साफ्टवेयर विकास के लिए उपयोग किया जायेगा।

(5) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।

(6) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/ कार्य हेतु किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित विभाग / निगम द्वारा हार्डवेयर का क्रय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट की कुल लागत की 50 प्रतिशत की धनराशि ही आईटी पूल फण्ड से स्वीकृत की जायेगी शेष 50 प्रतिशत धनराशि का वहन युवा कल्याण विभाग उ०प्र० शासन द्वारा अपने स्रोतों /बजट से किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी,लखनऊ।
9. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स,लखनऊ ।
10. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
12. युवा कल्याण अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
13. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
14. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग।
15. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वी0पी0 नागेश
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।